

कार्यालय प्रमोद वसुदेवकारि विद्यालय के प्रचार विभाग  
पत्रांक पत्रा. 112-1 दिनांक 7. 8. 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमायूँ इलाका  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा

विषय- चौबट्टी के वसुदेवकारि जोड़ मार्ग प्रस्ताव से  
29/45/2014

संदर्भ - आपकी पत्र सं. 289/12-1 दि. 5-6-2015

महोदय,

संचालित पत्र के अंत में प्रस्तावक विभाग

आरा आपात का निरीक्षण कर जैसा विपणन रहा है,

भवदीय,

  
वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमायूँ इलाका  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा

Form-1  
(For Linear Projects)  
Government of Utrakhand  
Office of the District collector Pithoragarh

No.....

Date- 29/11/2014

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF) Government of India letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 3.492 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Gram Vikash Department, Govt. of UK for the construction of Motor Road From Chaubati to Barambachkudi in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Barambachkudi villages in Didihat Tehsil.


It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.492 hectares of forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s) Gram Sabha(s) sub-division level committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure ~~30.1~~ to ---- annexure ~~30.14~~
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it----
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As above.

Dated. 29/11/2014

Signature

  
(H. C. S. Seno) (S)  
District collector  
Pithoragarh  
पिथौरागढ़

A-1.6-2

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE  
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act. (FRA), 2006.

A meeting of the District level committee of Pithoragarh District, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. H.C. Semwal, I.A.S., District Magistrate Pithoragarh on Date 29/11/2014 at Pithoragarh in which the application claiming right in mail area measuring 5.409 Hect. for the construction of Chaubati to Barambachkudi Motor Road of Forest Level Committee of Didihat Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the document and detail discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- Pithoragarh

Dated:- 29/11/2014

(H.C. Semwal)  
District Magistrate,  
District Level Committee  
District Pithoragarh

A-103

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिला स्तरीय समिति- पिथौरागढ़

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग, (2.754 हे० नाप भूमि 5.409 हे० सिविल सोयम वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 8.163 हे० वन भूमि) का ग्राम विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील-डीडीहाट) की दिनांक 26/10/2014 को सम्बन्धित बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच०सी० सेमवाल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री एच०सी० सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- डा० इन्द्रपाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री श्याम लाल आर्या, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
- 4- श्री अती, सभवा, सभवा, सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र चिटाईगाँव सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 8.163 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु जनजातों की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जनजातों से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी  
अध्यक्ष  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी  
सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
सदस्य/सचिव

सदस्य जिला पंचायत  
क्षेत्र :- चिटाईगाँव  
सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र  
सदस्य

श्रीमती जयन्ती देवी  
ब्लाक प्रमुख  
चि०हा० डीडीहाट

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-IX में प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी0) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी डीडीहाट  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति- डीडीहाट

उपखण्ड बेसिनांग परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग 2.754 हे0 नाप भूमि, 3.492 हे0 सिविल सोयम (वन स्वरूप) वन भूमि, 1.917 सिविल सोयम (वन रहित), शून्य हे0 वन पंचायत भूमि शून्य हे0 आरक्षित वन अर्थात् कुल 8.163 हे0 वन भूमि ) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- डीडीहाट) की दिनांक 25.10.11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [Signature] उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री [Signature] उपजिलाधिकारी [Signature] अध्यक्ष
- 2- श्री [Signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी [Signature] सदस्य
- 3- श्री [Signature] सहायक समाज कल्याण अधिकारी [Signature] सदस्य / सचिव
- 4- श्री [Signature] वी0डी0सी0 क्षेत्र [Signature] सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 8.163 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दायेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की सकती है।

उपजिलाधिकारी  
अध्यक्ष

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी  
सदस्य / सचिव

वी0डी0सी0 क्षेत्र  
सदस्य

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-IX में प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी0) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम:-

तहसील-डीडीहाट

जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2.754 हे0 नाप भूमि, 5.409 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि) अर्थात कुल 8.163 हे0 वन भूमि का ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट (पिथौरागढ़) विभाग/रांस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~का प्रस्ताव~~ द्वारा दिनांक 26/11/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामवासियों के आदिवासी को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नहीं है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि स्थित नहीं है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नहीं लायी गई है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

कनिष्ठ अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट( पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट( पिथौरागढ़)

अधीशासी अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट( पिथौरागढ़)

ह0/-  
वन पंचायत सरपंच

ग्राम पंचायत- बरम बचकुड़ी  
ह0/-  
ग्राम प्रधान

ह0/-  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

A-1-6-6



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

22AA 997284

अनापीला प्रमाण-पत्र  
 उत्तमप्रेती आम हड़ल घेजता के गंतगील खीकृत चोकाटी-  
 वरमकचकुमि जोर मगी में हम लकी कृषको की नापक्रमि  
 पडती है। भागे के नाटने से जो भलका निगलेगा  
 उले हमारी नापक्रमि में डालते में हजे किली की  
 प्रकार की जापलित नही है। भलका डालते हेतु  
 हमी नापक्रमि लेखक देने को लेंपा है।

महेश सिंह	नापक-बडेत	कुन्दराम	कुन्दराम
2 रबीमा देउपा	उडासिजाति	रमेशम	
3 जमना देउपा	गोविन्दवन्धुजाति	राजेश	
4) अजीरथा देउपा	जयकान्त मोरवा	जाकि देवी	
5) देव देउपा	पुनक देउपा	गोता देव देउपा	
6) नीरु देउपा	कोमि-कडुदेउपा	देवराज देउपा	
(7) मेधा	रगलिला प्रसाद मोरवा	शरद देव	
(8) दीपा देउपा	बहादुर राम	जगत देवी	
	पुनक देउपा	रबीमा देवी	
	चन्द्रराम देउपा	जमना देवी	

9 गौविन्दसिंह

10 नीरज सिंह

11 तारा देवी

12 एकादश देवी

30 JUN 2014

13 - अनामिका देवी - भवाडी -

30 JUN 2014

14 - लीवला देवी

15 - बलीदा देवी

16 - नन्दोती देवी

17 - कामा देवी

18 - सुवर्ण देवी

19 - सती देवी

20 - उमा देवी

21 - शक्ति देवी

22 - लक्ष्मी देवी

23 - सती देवी

24 - शक्ति देवी

25 - लक्ष्मी देवी

26 - शक्ति देवी

1/1/16

2/1/16

3/1/16

4/1/16

Samet Singh

K.S. Bora



प्रारूप-29

(5.00 से अधिक के प्रकरणों में लागू)

**Cost Benefit Ratio calculation Performa**

परियोजना का नाम:-जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चौवाटी-बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी0) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरित प्रस्ताव।

Block:-डीडीहाट

District:-पिथौरागढ़

Sl. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	<b>Total cost (Investment incurred)</b>		
(A)	Construction cost of the project	553.90	
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /Ha	37.8	
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-	60.71	
(E)	Other cost if any	14.1	
	<b>Grand Total</b>	<b>666.51</b>	
2	<b>Benefits</b>	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the created development
	<b>i. Direct Economic Benefits</b>		
	a. Market Development -10 shops are established after construction of above road taking minimum benefit for pae shop per day Rs. 180.00 benefit for 10 shops per month 10x30x180=67500.00x12=54000.00 Benefit for 1 year =54000.00x12 = 648000.00 Benefit for 50 years = 54000.00x50=2700000.00	324.00	
	b. Employment Generation Due to Transportation	240.00	
2.1	c. Direct Employment in construction and maintenance	120.00	
	d.(i) Agricutar Production & better marketing	110.00	
	(ii) hortical hub & Animal	40.00	
	e. increase in Income due to increase in animal husbandery and horticulture		
	f. Decreasing the cost of Electrical held Pipe line, Telephone line & other Communication works	55.00	
	<b>Total direct benefits</b>	<b>889.00</b>	
	<b>ii. Social Benefits</b>		
2.2	a Higher the education level	35.00	
	b Higher the Average due to better Healthfacility (Assesing increase age of 5 Year)	86.00	
	<b>Total social benefits</b>	<b>121.00</b>	
	<b>iii. Ecological Benefits</b>		
2.3	a. Increase in Pollution after cost of Road	90.00	
	b. increase in water level due	50.00	
	c. Water conservation	30.00	
	<b>Total ecological benefits</b>	<b>170.00</b>	
	<b>Other Benefits( if any )</b>		
2.4	a. Abolition of Castism	10.00	
	b. Abolition of poverty	10.00	
	<b>Total benefits</b>	<b>20.00</b>	
	<b>Grand Total Benefits</b>	<b>1200.00</b>	

J.E.

*[Signature]*  
R. J. J. J.

*[Signature]*  
J.E.

*[Signature]*  
R. J. J. J.

A-111-2

प्राकृत्य-29.1

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Name of Project: Construction of Chauthi-  
Baram Bachhwas M/R Nature of Proposal :- Road

Sl.no	Parameters	Details
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived their livelihood and wage from the harvest of these commodities	Loss of total 392 Nos of trees Cash Rs=878803-51000 Misc species which will be compensated by compensatory plantation and additional avenue plantation
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	Nil
3	Cost of human resettlement	Nil No Human displacement involved in forest Area.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	No, loss of public facilities is involved in the proposed project OR Public facilities and Administrative infrastructure like roads, buildings, railways etc. will not be affected due to road, therefore the loss due to this will be "Nil"
5	Environmental losses: (Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	Project is linear, environmental loss are anticipated except tree cutting. Environmental value depends upon the density of forest Density of forest land = 0.2
6	Suffering to oustees	Environmental loss for 50 years = $15 \times 0.2 \times 5.409 = 162.27$ lac Environmental loss for 1 year = $\frac{162.27}{50} = 3.245$ lac Environmental loss per year / Hectare = $\frac{3.245}{5.409} = 0.60$ lac

For 30 years =  $0.60 \times 30 = 18$  lac  
Total loss =  $878803.56 + 18.00$  lac  
=  $26.789$  lac.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*


पर्यावरण संरक्षण विभाग

प्रारूप-29.2

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

No.	Parameters	Details
	Increase in productivity attributable to the specific project.	Vegitable and Fruits=150Qtl @ 1500/- =225000.00
	Benefits to economy	About Rs 1.50 Loakh due to Milk production, Vegitable, Fruits, Torism and other mining mineral materials
	No. of population benefited.	706
	Employment potential.	About Rs240.00 Lakhs About Rs. 240.00 Lakh Labours component in project will give employment to local youth, their social, economic, cultural life structure will be benefited.
	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	Nap Land 3.1882 Hect
	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	.....
	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	.....
	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	Kerosene Oil/Gas Connection service is available in the area/dry fuel wood will be sufficient from nearby Nigam Depot during construction.

Amid  
Jt.



प्रपत्र-42

परियोजना का नाम : प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुडी मोटर मार्ग (9.070 किमी) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-03-2008 एवं दि० 09-05-2008 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी V.1
2. हरियाली का घनत्व :- 0.2
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे० :- 897000/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल :- 5.409 हे०
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि :- 4851573

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र-15.4

प्रस्ताव का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौबाटी-बरगबचकुड़ी भेद मार्ग, (9.070 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।


उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि 9.00 मी० चौड़ाई में प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। पूर्व में पातन होने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी० चौड़ाई में ही की गयी थी। जिसकी सूची पूर्व में ही प्रस्तुत कर दी गयी है। वर्तमान में 2.00 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर सूची संगलन कर प्रेषित की जा रही है। आवेदित 2.00 मी० चौड़ाई के लिए वन पंचायत भूमि पर 117 वृक्ष पड़ रहे हैं, जिनकी प्रस्तावितवार व्याप्तवार सूची संलग्न है।

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 19.06.2015 को संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावित विभाग की ओर से अपर सहायक अभियन्ता, श्री प्रदीप कुमार उपाध्याय, वन विभाग की ओर से वन दरोगा डीडीहाट, श्री मनोज कुमार तिवारी, एवं वनरक्षक श्री मोहन सिंह राठौर, उपस्थित रहे। उक्त दिनांक को 2.00 मी० चौड़ाई में आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-  
परियोजना के निर्माण में 9.00 मी० चौड़ाई में पड़ने वाले वृक्षों का विवरण।


क्र. सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग (सेमी में)										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आवृक्षित वन भूमि	शून्य										
2	विभिन्न योग्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	वन पंचायत योग्य	15	88	188	95	66	33	16	08	0	0	509
4	नाप भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


नोट:- 1- वर्तमान में 2.00 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर सूची संगलन कर प्रेषित की जा रही है।

2- परियोजना के निर्माण में 9.00 मी० चौड़ाई के लिए सम्मिलित कुल 509 वृक्षों में से 7.00 मी० चौड़ाई में वास्तविक रूप से केवल 392 वृक्षों का पातन किया जाना है।

  
वन दरोगा  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

  
अपर सहायक अभियन्ता,  
ग्रा०नि०वि०,  
पी०एम०जी०एस०वाई०,  
डीडीहाट।

  
सहायक अभियन्ता,  
ग्रा०नि०वि०,  
पी०एम०जी०एस०वाई०,  
डीडीहाट।

  
अधीक्षक अभियन्ता,  
ग्रा०नि०वि०,  
पी०एम०जी०एस०वाई०,  
डीडीहाट।

  
वन क्षेत्राधिकारी,  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

  
पिथौरागढ़



वर्ग	प्रजाति	व्यास वर्ग से० मी० में ( गोलाई)										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90+	
क	चीड़ Pinus roxburghii Sargrt	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	02
	बॉज Quercus leucotricophora	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04
	बुरांश	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	04
	उतीस	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	02
	काफल	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	02
	फल्पाट	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	03
	योग:-	15	3	15	23	32	20	8	1	0	0	117
ख	चीड़ Pinus roxburghii Sargrt	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	04
	बॉज Q.ercus leucotricophora	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
	फल्पाट	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	04
	उतीस	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	04
	काफल	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	02
	अर्यार	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	06
	योग:-	15	3	15	23	32	20	8	1	0	0	117

अधीक्षक  
डीडीहाट (मिथौरागढ़)

अपर सहायक अभियन्ता,  
ग्रा०नि०वि०,  
पी०एम०जी०एस०वाई०,  
डीडीहाट।

सहायक अभियन्ता,  
ग्रा०नि०वि०,  
पी०एम०जी०एस०वाई०,  
डीडीहाट।

अधीक्षकी अभियन्ता,  
ग्रा०नि०वि०,  
पी०एम०जी०एस०वाई०,  
डीडीहाट।

वन क्षेत्राधिकारी,  
डीडीहाट (मिथौरागढ़)